मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना

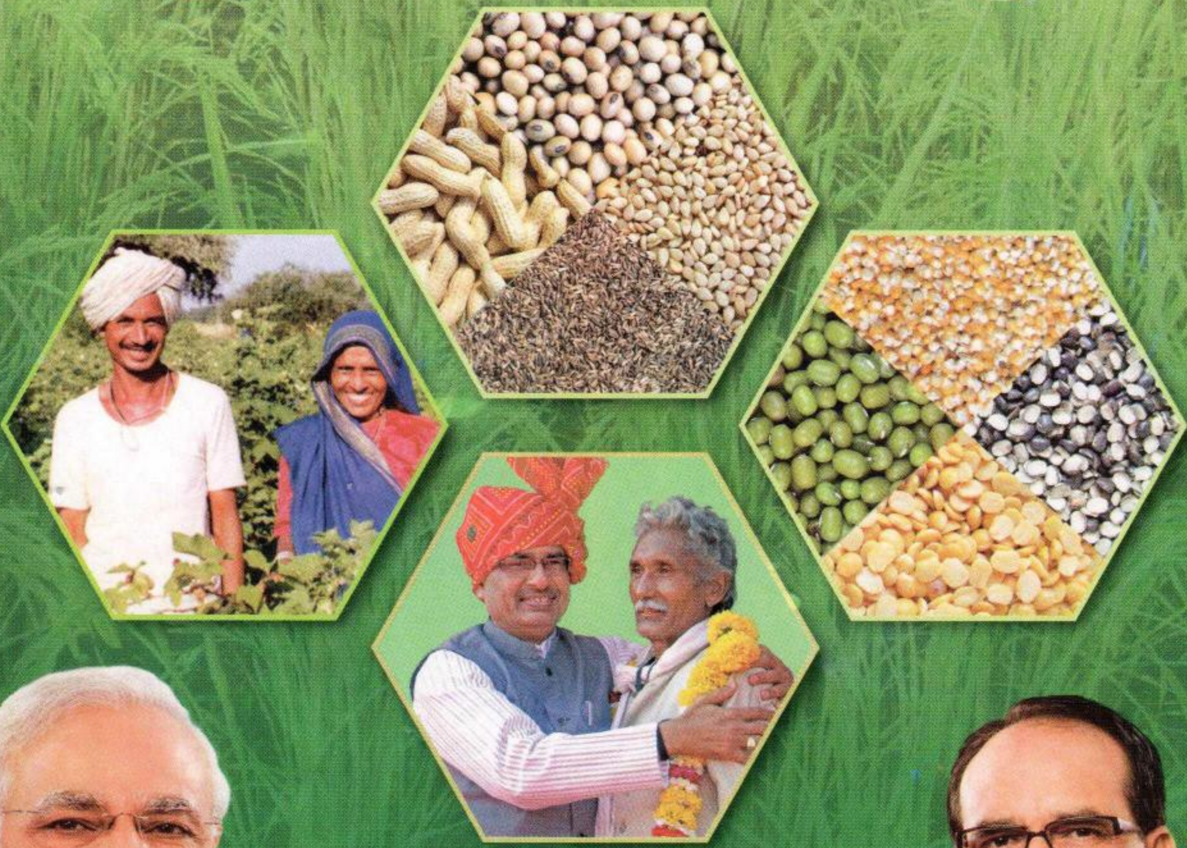

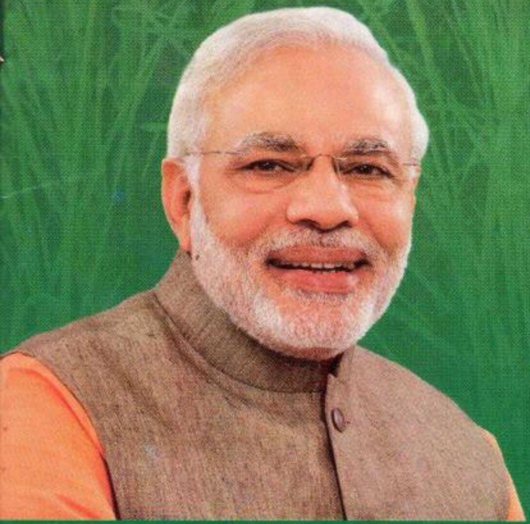

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

संदेश

मैं किसान पुत्र हूँ और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अपने खेतों पर कृषि फसलों के साथ ही सब्जी, फल और फूल की खेती भी करता हूँ। मुझे पता है कि मण्डियों में किसान के कृषि उत्पाद की विक्रय दरें/बाजार दरें नीचे आ जाने पर किसानों को कितनी निराशा और छटपटाहट होती है। किसानों को उनके कृषि उत्पाद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके इसके लिये सरकार गेहूँ, धान, ज्वार, बाजरा का ई-उपार्जन करती है। किन्तु दलहनी एवं तिलहनी फसलों के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे चले जाने पर सम्पूर्ण दलहनी तथा तिलहनी कृषि उत्पाद का उपार्जन नहीं हो पाता जिससे इन जिन्सों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को उपलब्ध नहीं कराया जा पाता।

मध्यप्रदेश सरकार खरीफ-2017 से देश में पहली बार **मुख्यमंत्री भावान्तर भुगतान योजना** पूरे प्रदेश में आठ फसलों- सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मक्का, मूंग, उड़द एवं अरहर पर लागू करने जा रही है। इस योजना में इसके पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को निश्चित अवधि में प्रदेश की मण्डियों में विक्रय किये गये इन कृषि उत्पादों पर उक्त फसलों की जिले की उत्पादकता की सीमा तक न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा किसान की विक्रय दर/औसत मॉडल विक्रय दर के अंतर की राशि राज्य सरकार किसान के बैंक खाते में जमा करायेगी। इस योजना के लिये 3500 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में (जहाँ गेहूँ/धान के ई-उपार्जन के लिये पंजीयन किया जाता है) मुख्यमंत्री भावान्तर भुगतान योजना के पोर्टल पर नि:शुल्क पंजीयन 11 सितम्बर, 2017 से 11 अक्टूबर, 2017 के मध्य कराया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री भावान्तर भुगतान योजना के माध्यम से हमारी सरकार इन आठ

फसलों के किसानों को बाजार भाव के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करेगी। इस योजना में नियत अवधि में विक्रय करने की बजाय बाद के संभावित बेहतर बाजार मूल्य के लिये अपनी फसल लायसेंसी गोदाम में चार माह रखने पर गोदाम भंडारण अनुदान का भी प्रावधान रखा गया है।

मुझे विश्वास है कि हमारे प्रदेश के किसान 11 सितम्बर, 2017 से 11 अक्टूबर, 2017 के बीच अपना पंजीयन कराकर **मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना** का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठायेंगे।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा आव्हान किया गया है कि सरकारें सुनिश्चित करें कि किसानों को अपनी फसल के सही बाजार मूल्य प्राप्त हो सकें। यह योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों की पूर्ति की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

मध्यप्रदेश सरकार - किसानों की सरकार, किसानों के साथ खड़ी सरकार।

भोपाल

11 सितम्बर, 2017

(शिवराज सिंह चौहान)
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना

मध्यप्रदेश के किसानों को कृषि उपज का उचित मूल्य प्रदान करने के लिये राज्य शासन के द्वारा पायलट आधार पर खरीफ-2017 के लिए अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण में किसान द्वारा विक्रय किये जाने पर राज्य शासन द्वारा विहित प्रक्रिया अपनाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा घोषित मंडियों की मॉडल (Wholesale) विक्रय दर के अंतर की राशि को **''मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना''** अन्तर्गत किसान के बैंक खाते में जमा किया जावेगा।

योजना का संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना :-

(1) योजना खरीफ- 2017 से लागू की जावेगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान द्वारा 11 सितम्बर, 2017 से 11 अक्टूबर, 2017 तक पंजीयन मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के पोर्टल पर कराया जा सकेगा।

(2) योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश के किसान को उसके द्वारा उत्पादित कृषि उपज पर प्रदेश की अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण में विक्रय राज्य शासन के द्वारा घोषित की गई अवधि में किए जाने पर खरीफ- 2017 की चयनित फसलों के लिये जिले की उत्पादकता की निश्चित सीमा तक विक्रय की गई फसल पर दिया जावेगा।

(3) **''मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना''** के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु किसान द्वारा लगभग 3500 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ (जो कि गेहूँ तथा धान के ई-उपार्जन का पंजीयन करती हैं) में 11 सितम्बर, 2017 से 11 अक्टूबर, 2017 तक मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना हेतु तैयार किए गए पोर्टल पर पंजीयन किया जाना अनिवार्य होगा। धान/ज्वार/बाजरा तथा गेहूँ ई-उपार्जन के समस्त ई-उपार्जन केन्द्रों को मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के लिए एक्टिवेट (Activate) किया गया है। इसके उपरांत भी मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के लिए नवीन पंजीयन केन्द्र की आवश्यकता होगी तो जिला कलेक्टर ई-उपार्जन के अतिरिक्त केन्द्र की मांग के फार्मेट/प्रपत्र के साथ केन्द्र खोलने के लिए आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को विधिवत प्रस्ताव भेज सकेंगे।

(4) मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना निम्न फसलों पर लागू होगी :-

(4.1)

क्र.	फसल	मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के लिए मण्डियों में विक्रय की अवधि	मंडियों की मॉडल (Wholesale) विक्रय दर गणना हेतु म.प्र. के अलावा नियत दो अन्य राज्य
तिलहन फसलें			
1.	सोयाबीन	16 अक्टूबर से 15 दिसम्बर तक	महाराष्ट्र, राजस्थान
2.	मूंगफली	16 अक्टूबर से 15 दिसम्बर तक	गुजरात, राजस्थान
3.	तिल	16 अक्टूबर से 15 दिसम्बर तक	उड़ीसा, छत्तीसगढ़
4.	रामतिल	16 अक्टूबर से 15 दिसम्बर तक	पश्चिम बंगाल, राजस्थान
खाद्यान्न फसल			
5.	मक्का	16 अक्टूबर से 15 दिसम्बर तक	कर्नाटक, महाराष्ट्र
दलहनी फसलें			
6.	मूंग	16 अक्टूबर से 15 दिसम्बर तक	राजस्थान, महाराष्ट्र
7.	उड़द	16 अक्टूबर से 15 दिसम्बर तक	राजस्थान, उत्तरप्रदेश
8.	तुअर	1 फरवरी से 30 अप्रैल तक	महाराष्ट्र, गुजरात

(4.2) उक्त समस्त फसलों का पंजीयन 11 सितम्बर, 2017 से 11 अक्टूबर, 2017 तक किसान द्वारा मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के पार्टल पर निःशुल्क कराया जा सकेगा। प्रत्येक किसान को पोर्टल पर पंजीयन उपरान्त **पंजीयन क्रमांक** उपलब्ध कराया जावेगा तथा एस.एम.एस. के माध्यम से पंजीकृत किसान को मोबाइल पर भी पंजीयन क्रमांक की सूचना प्रदान की जावेगी।

(5) **"मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना"** के लिये मंडियों की मॉडल (Wholesale) विक्रय दर की गणना कण्डिका-4 में वर्णित फसलों के लिए उल्लेखित अवधि के लिए उक्त अवधि समाप्ति उपरांत करने की निम्न प्रक्रिया नियत की जाती है :-

(5.1) मध्यप्रदेश की कृषि उपज मंडियों में संदर्भित कृषि जिन्स का संदर्भित अवधि का भारत सरकार के AGMARKNET पोर्टल के आधार पर **"मॉडल (Wholesale) विक्रय दर"**

(5.2) राज्य शासन के द्वारा चिन्हित दो अन्य उपरोक्त नियत राज्यों का संदर्भित कृषि जिन्स का भारत सरकार के पोर्टल AGMARKNET के आधार पर **"मॉडल (Wholesale) विक्रय दर"**।

(5.3) उपरोक्तानुसार मध्यप्रदेश एवं अन्य दो उपरोक्त अंकित राज्यों के संदर्भित कृषि जिन्स की प्राप्त मॉडल (Wholesale) विक्रय दरों का औसत निकाला जावेगा। मॉडल (Wholesale) विक्रय दर गणना में प्रत्येक राज्य को एक तिहाई वेटेज (Weightage) दिया जावेगा। इसे किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग म.प्र. शासन की वेबसाइट पर तथा मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के पोर्टल पर कण्डिका (4.1) की अवधि समाप्ति पर अपलोड कर प्रदर्शित किया जावेगा।

(5.4) दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी भारत शासन के वेबपोर्टल **(http://agmarknet.gov.in)** पर उपलब्ध रहेगी।

(6) योजना हेतु अर्हताएं :-

(6.1) मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने के साथ ही किसान का पंजीयन मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के पोर्टल पर दर्ज होना अनिवार्य है। जिन कृषकों का नाम एवं जानकारी उक्त पोर्टल पर उपरांकित अवधि में दर्ज नहीं होगी, उन्हें योजना में लाभ प्राप्त नहीं होगा। पोर्टल पर पंजीयन के समय किसान के द्वारा स्वयं का आधार कार्ड क्रमांक/समग्र क्रमांक, बैंक खाता क्रमांक तथा मोबाइल नम्बर दर्ज कराया जाना अनिवार्य होगा।

(6.2) कृषि उत्पाद प्रदेश में ही उत्पादित होना चाहिए।

(6.3) योजना का लाभ अधिसूचित मण्डी परिसर में कंडिका (4.1) में अंकित अवधि में ही विक्रय पर देय होगा।

(6.4) योजना का लाभ जिले में विगत वर्षों की फसल कटाई प्रयोगों पर आधारित औसत उत्पादकता के आधार पर उत्पादन की सीमा तक ही देय होगा। जिलावार फसलवार औसत उत्पादकता परिशिष्ट-एक पर संलग्न है।

(7) मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के पोर्टल पर कृषक द्वारा 11 सितम्बर से 11 अक्टूबर, 2017 तक दर्ज कराई गई 8 फसलों की जानकारी तथा ई-उपार्जन में धान, ज्वार, बाजरा की एकजाई जानकारी (कुल 11 फसलों की) कृषकवार राजस्व विभाग को प्राप्त हो सकेगी। इनमें से कितनी भूमि पर कौन-सी फसल (उपरोक्त 11 में से) बोई गई है का कलेक्टर द्वारा राजस्व अमले से भौतिक सत्यापन कराया जावेगा। मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना की 8 फसलों के संबंध में 30 अक्टूबर, 2017 तक मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना पोर्टल पर सत्यापन में पात्र पाए जाने की पुष्टि राजस्व विभाग द्वारा दर्ज की जावेगी।

(8) राज्य शासन के द्वारा योजना का लाभ प्रदान करने हेतु प्रदेश की अधिसूचित कृषि उपज मंडी समितियों के प्रांगणों में 8 चयनित फसलों का विक्रय उपरांकित अवधि में किए जाने पर ही योजना में लाभ देय होगा।

(9) निर्धारित कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण में मंडी समिति के द्वारा उप विधियों के प्रावधान के अनुसार विधिवत् विक्रय संपन्न कराया जावेगा :-

(9.1) कृषक को 11 सितम्बर, 2017 से 11 अक्टूबर, 2017 तक की अवधि में मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के पोर्टल पर पंजीयन कराने पर प्राप्त पंजीयन क्रमांक कृषि उपज मण्डी समिति में विक्रय के समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(9.2) कृषि उपज मंडी समिति के नामांकित कर्मचारी/अधिकारी के द्वारा नीलामी/विक्रय उपरान्त जारी किये जाने वाले अनुबंध पर्ची, तौल पर्ची एवं भुगतान पत्रक में किसान का पंजीयन क्रमांक, नाम, पता, विक्रय की गई मात्रा एवं विक्रय दर आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जावेगा।

(9.3) मंडी सचिव द्वारा प्रत्येक दिवस कृषि उपज मंडी प्रांगण में सम्पन्न नीलामी का कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत कृषि जिन्स-वार विक्रय की दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी केन्द्र शासन के AGMARKNET Portal पर सायं 6 बजे तक अपलोड की जावेगी।

(9.4) कृषि उपज मंडी समिति के द्वारा दैनिक जानकारी का संग्रहण कर किसान के पंजीयन क्रमांकवार मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के पोर्टल पर उपलब्ध कॉलम में अनुबंध पर्ची, तौल पर्ची एवं भुगतान पत्रक की सम्बंधित जानकारी किसान के पंजीयन क्रमांक अनुसार मंडी फीस जमा कर दिए जाने तथा किसान को लायसेन्सी व्यापारी द्वारा भुगतान कर दिए जाने के उपरांत उक्तानुसार मात्रा आदि का इन्द्राज किया जावेगा। मूल अभिलेखों पर किसान का पोर्टल पर दर्ज पंजीयन क्रमांक दर्ज कर मण्डी समिति में सुरक्षित रखा जावेगा।

(9.5) ''सौदा पत्रक'' के माध्यम से विक्रय की गई कृषि उपज योजना में मान्य नहीं होगी।

(10) मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना की अवधि समाप्त होने पर आगे अंकित प्रक्रिया अपनाकर किसान के बैंक खाते में अंतरित किए जाने का कार्य सम्बंधित संस्था म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ/म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भुगतान किया जावेगा। योजना हेतु जिलावार एजेंसी **परिशिष्ट-दो** अनुसार नियत रहेंगी।

(10.1) योजनांतर्गत देय राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी :-

अ. यदि किसान द्वारा मण्डी समिति परिसर में विक्रय की गई अधिसूचित फसल की विक्रय दर न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक या उसके बराबर हुई तो योजना का लाभ देय नहीं होगा।

ब. यदि किसान द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति परिसर में विक्रय की गई अधिसूचित फसल की विक्रय दर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम, किन्तु राज्य शासन द्वारा घोषित मंडियों की मॉडल (Wholesale) विक्रय दर से अधिक हुई तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा

किसान द्वारा विक्रय मूल्य के अंतर की राशि किसान के उस खाते में ही अंतरित की जावेगी, जो किसान द्वारा मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के पोर्टल पर पंजीयन के समय इन्द्राज किया गया।

स. यदि किसान द्वारा मण्डी समिति परिसर में विक्रय की गई अधिसूचित फसल की विक्रय दर राज्य शासन द्वारा घोषित मंडियों की मॉडल (Wholesale) विक्रय दर से कम हुई तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा मंडियों की मॉडल (Wholesale) विक्रय दर के अंतर की राशि उस बैंक खाते में ही अंतरित की जावेगी, जो किसान द्वारा मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के पोर्टल पर पंजीयन के समय इन्द्राज किया गया।

- परन्तु यदि उपरोक्त में से किसी फसल उत्पाद के मॉडल (Wholesale) विक्रय दर का औसत (तीन राज्यों का) यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर रहे तो उक्त फसल उत्पाद के लिए मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना लागू नहीं मानी जावेगी।

(10.2) उक्तानुसार अंतर की राशि किसान द्वारा मण्डी के परिसर में विक्रय मात्रा, जो बोए गए रकबे पर जिले की औसत उत्पादकता के आधार पर होने वाले उत्पादन की सीमा तक की मात्रा की सीमा तक, पर देय होगा। जिले की औसत उत्पादकता प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मापदण्ड के आधार आयुक्त, भू-अभिलेख के मार्गदर्शन में फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर गणना कर।

जिलावार, फसलवार औसत उत्पादकता **परिशिष्ट–एक** पर उल्लेखित है।

(10.3) मुख्युमंत्री भावांतर भुगतान योजना पोर्टल पर इन्द्राज जानकारी राजस्व विभाग के अमले द्वारा त्रुटिपूर्ण पाई जाने पर उक्त भुगतान कलेक्टर द्वारा जांच उपरान्त मान्य किए जाने तक देय नहीं होंगे।

(10.4) भावान्तर की राशि किसान द्वारा मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के पोर्टल 11 सितंबर से 11 अक्टूबर, 2017 को पंजीयन के समय इन्द्राज किए गए बैंक खाते में ही जमा कराई जायेगी।

(11) किसान Distress Sale नहीं करें तथा उचित समय पर फसलें बेचने को प्रोत्साहित करने के लिए योजनान्तर्गत लायसेन्सी गोदाम (Licensed Godown) में कृषि उपज रखने के लिए, जिन किसानों ने मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना पोर्टल पर पंजीयन कराया है, को गोदाम भंडारण अनुदान प्रदान किया जावेगी।

(11.1) प्रत्येक अधिसूचित फसल पर कण्डिका-4 में अंकित मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना की अवधि के उपरांत सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मक्का, मूंग तथा उड़द के लिए 1 जनवरी, 2018 से 30 अप्रैल, 2018 तक चार माह के लिए तथा अरहर (तुअर) के लिए 1 मई से 30 अगस्त, 2018 तक चार माह के लिए किसान द्वारा लायसेन्सी गोदाम में अपने कृषि उत्पाद रखे जाने पर, रुपये 7 प्रति क्विंटल

प्रतिमाह अथवा जो वास्तविक भुगतान किया गया है, दोनों में से जो भी कम हो, की दर से ऐसे किसानों के इस बैंक खाते में गोदाम भंडारण अनुदान की राशि जमा कराई जावेगी, जो मुख्यमंत्री भावांतर योजना के पोर्टल पर पंजीयन के समय किसान द्वारा दर्ज कराया गया।

(11.2) उक्त राशि तब ही देय होगी जब उक्त अधिसूचित फसल विक्रय के समय भुगतान पत्रक में उल्लेखित विक्रय दरें न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम रहती हैं। ऐसी स्थिति में लाभान्वित किसान को मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना में न्यूनतम समर्थन मूल्य से विक्रय दरों के अंतर की राशि का भुगतान देय नहीं होगा, अपितु केवल गोदाम भंडारण के अनुदान की राशि ही देय होगी। किसान द्वारा भण्डारित कृषि उत्पाद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विक्रय किए जाने पर भावांतर अथवा गोदाम भण्डारण अनुदान में से कोई भी राशि देय नहीं होगी।

(11.3) भण्डारण के चार माह उपरांत अथवा भण्डारण के चार माह के मध्य में किसान द्वारा भण्डारित कृषि उत्पाद न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर बेचे जाने पर मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना अन्तर्गत गोदाम भंडारण अनुदान के अलावा अन्य कोई राशि देय नहीं होगी।

(11.4) पंजीकृत किसान जो इस प्रावधान का लाभ लेना चाहते हैं, वे WHR की प्रति संलग्न कर जिलावार (परिशिष्ट-दो अनुसार) नियत एजेन्सी के जिला कार्यालय में कण्डिका (4.1) में इंगित अवधि में ही आवेदन किया जाना होगा। आवेदन में किसान को मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के पोर्टल पर पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

(11.5) जिला कलेक्टर द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड अथवा इस बावत् गठित समिति या अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय एजेंसी के माध्यम से उक्त प्रदाय जानकारी का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जावेगा। चार माह के भण्डारण की अवधि की समाप्ति उपरांत कृषक से बिक्री का प्रमाण प्राप्त किया जाकर विक्रय दर न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक नहीं जाने की स्थिति में उपरोक्त दर पर भुगतान उसके बैंक खाते में किया जावेगा।

(12) मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के नियमों/प्रक्रियानुसार किसान के खाते में नियत एजेन्सी (परिशिष्ट-दो के अनुसार) द्वारा डी.बी.टी. (DBT) के माध्यम से जमा कराई जावेगी तथा नियत एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वह किसान को भुगतान की गई राशि की जानकारी किसान के मोबाइल नम्बर पर एस.एम.एस. के माध्यम से आवश्यक रूप से प्रदान करें। यह भावांतर राशि किसान के उस ही बैंक खाते में जमा

की जावेगी जो किसान द्वारा **मुख्यमंत्री भावांतर योजना** के पोर्टल पर पंजीयन के समय दर्ज कराया गया।

(13) राशि के वितरण उपरांत भुगतान की पूर्ण जानकारी नियत एजेंसी (परिशिष्ट-दो) द्वारा संधारित की जावेगी तथा इसका प्रत्येक वर्ष आवश्यक रूप से ऑडिट कराया जावेगा।

(14) राज्य शासन द्वारा ख्याति प्राप्त शासकीय/अर्धशासकीय संस्था का चयन कर उसके माध्यम से योजना का Concurrent Evaluation कराया जावेगा।

(15) राज्य स्तर से योजना की जानकारी कृषकों को प्रदान किये जाने हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार तथा जनजागरुकता अभियान आयोजित किए जावेंगे।

(16) योजना के क्रियान्वयन हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित ''कृषि कैबिनेट'' के द्वारा समस्त नीतिगत निर्णय लिये जावेंगे तथा योजना की सतत् समीक्षा की जावेगी।

(17) योजना के क्रियान्वयन हेतु ''राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति'' का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया जावेगा।

(1) मुख्य सचिव - अध्यक्ष

(2) कृषि उत्पादन आयुक्त - उपाध्यक्ष

(3) अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग - सदस्य

(4) प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग - सदस्य

(5) प्रमुख सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग - सदस्य

(6) प्रमुख सचिव, खाद्य, उपभोक्ता संरक्षण एवं नागरिक आपूर्ति विभाग - सदस्य

(7) प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग - सदस्य

(8) प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग - सदस्य

(9) कुलपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर - सदस्य

(10) कुलपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर - सदस्य

(11) संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी - सदस्य

(12) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड - सदस्य

(13) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल - सदस्य

(14) प्रबंध संचालक, म.प्र. वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन, भोपाल - सदस्य

(15) एस.आई.ओ. (राष्ट्रीय सूचना केन्द्र - NIC) - सदस्य

(16) संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास - सदस्य

(17) प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड - सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति के द्वारा योजना के प्रदेश में क्रियान्वयन, प्रगति तथा दैनिक क्रियान्वयन में आने वाले गतिरोधों की समीक्षा की जायेगी तथा योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्णय लिये जायेंगे। नीतिगत विषयों पर निर्णय लिये जाने हेतु समिति के द्वारा अनुशंसित एजेण्डा को कृषि कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(18) जिला स्तर पर निम्नानुसार जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया जाता है :-

(1) जिला कलेक्टर-अध्यक्ष

(2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत - सदस्य

(3) उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास - सदस्य

(4) उपायुक्त, सहकारिता - सदस्य

(5) उप/सहायक संचालक, उद्यानिकी - सदस्य

(6) लीड बैंक अधिकारी - सदस्य

(7) प्रभारी वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केन्द्र - सदस्य

(8) जिला मुख्यालय पर स्थित कृषि उपज मंडी समिति का सचिव - सदस्य

(9) जिला सूचना अधिकारी (D.I.C.-NIC) - सदस्य

(10) जिला खाद्य अधिकारी - सदस्य सचिव

जिले के समस्त माननीय विधायक जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित होंगे। माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा अनुमोदित चार किसान भी इस समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित होंगे। समिति के द्वारा जिले में योजना का सुचारू संचालन, प्रगति, किसानों को भुगतान, योजना से संबंधित विवाद एवं इनका निराकरण, राज्य शासन को योजना के क्रियान्वयन हेतु अनुशंसाएं भेजने इत्यादि के कार्य किए जावेंगे। समय-समय पर राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

परिशिष्ट–एक

भावान्तर भुगतान योजना हेतु जिलेवार औसत उत्पादकता की जानकारी

जिला	तिलहन फसल				दलहन फसल			अनाज
	सोयाबीन	मूंगफली	तिल	रामतिल	तुअर	उड़द	मूंग	मक्का
	उत्पादकता (कि.ग्रा./हे.)	उत्पादकता (कि.ग्रा./हे.)	उत्पादकता (कि.ग्रा./हे.)	उत्पादकता (कि.ग्रा./हे.)	उत्पादकता (कि.ग्रा./हे.)	उत्पादकता (कि.ग्रा./हे.)	उत्पादकता (कि.ग्रा./हे.)	उत्पादकता (कि.ग्रा./हे.)
जबलपुर	1161	1562	453	253	737	603	638	1365
कटनी	617	1148	271	120	392	429	456	1058
बालाघाट	1509	1200	1039	174	929	394	397	1585
छिन्दवाड़ा	1901	1880	497	256	1374	423	383	3379
सिवनी	1065	1222	409	186	825	556	349	1776
मण्डला	669	500	420	211	552	276	195	1111
डिन्डोरी	607	1579	401	226	332	467	230	1290
नरसिंहपुर	1695	2792	730	402	1019	509	564	1868
सागर	1056	1154	291	276	447	476	298	1432
दमोह	1220	1226	495	NA	498	572	405	2004
पन्ना	790	1143	565	198	368	555	397	888
टीकमगढ़	838	1251	480	NA	237	517	347	668
छतरपुर	688	945	381	128	273	483	421	549
रीवा	611	NA	219	278	266	470	379	704
सीधी	476	1000	466	375	278	498	319	1015
सिंगरोली	NA	1381	481	486	761	611	517	1351
सतना	519	1280	203	NA	220	653	569	919
शहडोल	701	850	323	421	420	521	398	997
अनुपपुर	635	945	243	480	323	377	333	906
उमरिया	352	1182	324	230	209	422	377	843
इंदौर	1402	1279	500	NA	562	305	300	1307
धार	1471	1153	405	NA	532	497	506	1499
झाबुआ	812	1001	539	NA	429	565	512	1264
खरगोन	712	1134	378	NA	373	329	347	1698
बड़वानी	906	1141	421	NA	379	372	393	2651
खण्डवा	683	1210	525	NA	737	339	330	1991
बुरहानपुर	742	1613	658	NA	965	314	300	2697
अलीराजपुर	762	1098	511	NA	423	593	487	1186
उज्जैन	1436	1768	562	NA	553	497	438	1408
मंदसौर	1319	1277	520	NA	427	434	383	1538
नीमच	988	1301	563	NA	357	511	410	2102
रतलाम	1225	1454	899	NA	662	624	689	2435
देवास	1371	1472	947	NA	671	346	423	1497
शाजापुर	1128	1320	563	NA	378	293	286	1212
आगर–मालवा	657	803	421	NA	248	220	245	767
मुरैना	1239	987	448	NA	566	467	381	1039
श्योपुरकला	1147	1246	466	NA	469	442	423	1046
भिण्ड	1081	NA	669	NA	405	389	520	1000
ग्वालियर	1746	1190	654	NA	327	374	354	1482
शिवपुरी	938	1755	661	NA	419	614	459	1495
गुना	1226	1606	811	NA	459	545	466	1464
अशोकनगर	1487	1755	978	NA	570	483	443	1577
दतिया	760	1143	634	NA	275	383	385	1073
भोपाल	1274	1565	531	NA	591	446	374	1496
सिहोर	1298	1456	715	500	466	571	447	1472
रायसेन	842	1315	500	NA	470	383	355	1337
विदिशा	1153	1659	593	NA	506	425	383	1579
राजगढ़	955	1177	729	NA	524	424	393	1423
होशंगाबाद	862	1158	723	NA	868	358	397	1916
हरदा	1412	1500	753	NA	996	111	230	1623
बैतूल	1380	1334	589	251	567	355	306	1954

"मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना" हेतु भुगतान एजेंसी की जिलावार सूची

क्र.	म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.	क्र.	म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन
1.	भिण्ड	26.	ग्वालियर
2.	मुरैना	27.	गुना
3.	श्योपुरकलां	28.	अशोकनगर
4.	शिवपुरी	29.	इंदौर
5.	दतिया	30.	धार
6.	झाबुआ	31.	बैतूल
7.	अलीराजपुर	32.	विदिशा
8.	खरगौन	33.	होशंगाबाद
9.	खण्डवा	34.	हरदा
10.	बुरहानपुर	35.	बालाघाट
11.	बड़वानी	36.	जबलपुर
12.	उज्जैन	37.	मण्डला
13.	मंदसौर	38.	छिंदवाड़ा
14.	नीमच	39.	सिवनी
15.	रतलाम	40.	सागर
16.	देवास	41.	दमोह
17.	शाजापुर	42.	टीकमगढ़
18.	आगर मालवा	43.	छतरपुर
19.	भोपाल	44.	पन्ना
20.	सीहोर	45.	सतना
21.	रायसेन	46.	सीधी
22.	राजगढ़	47.	शहडोल
23.	कटनी	48.	डिण्डौरी
24.	नरसिंहपुर	49.	अनूपपुर
25.	रीवा	50.	सिंगरौली
		51.	उमरिया

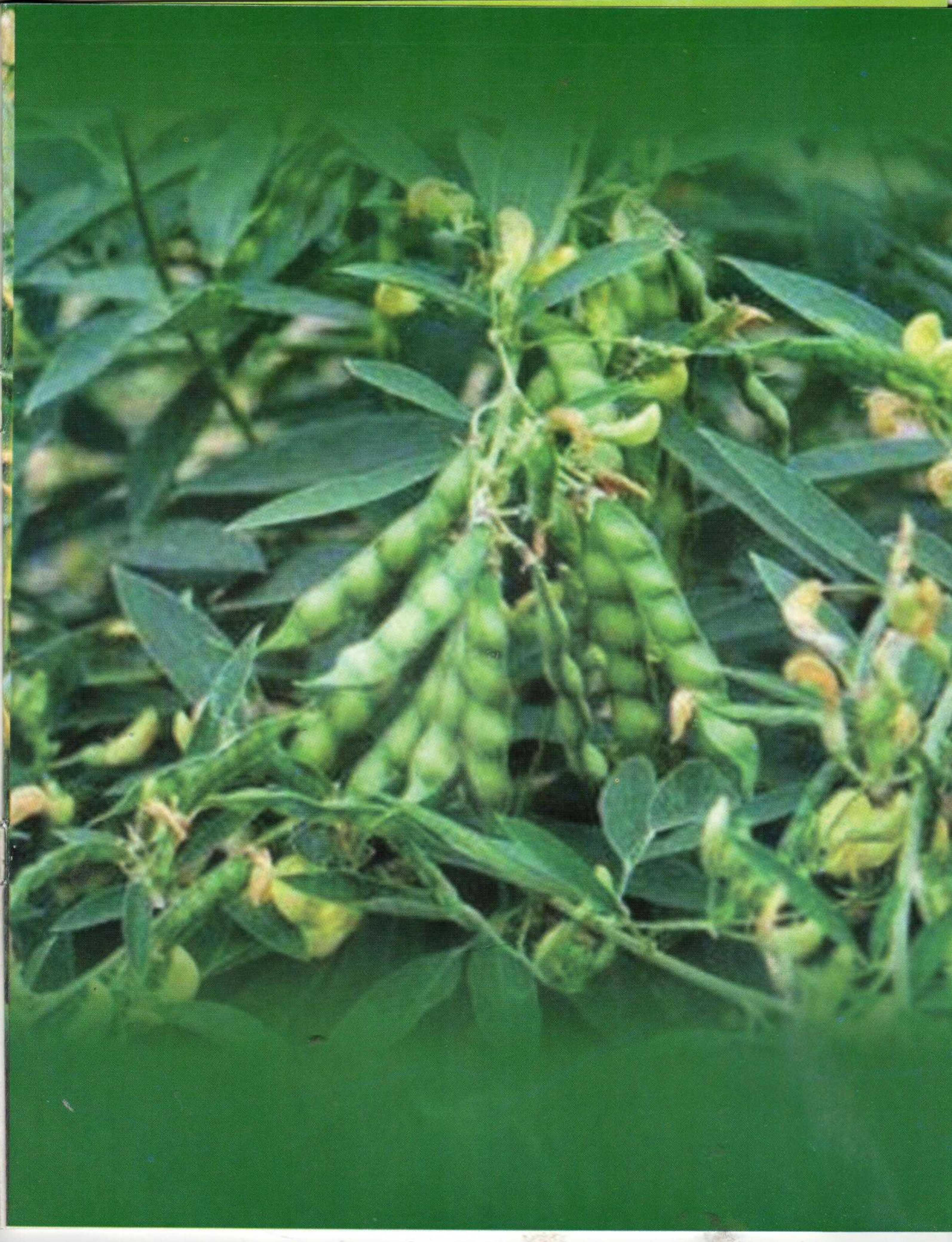

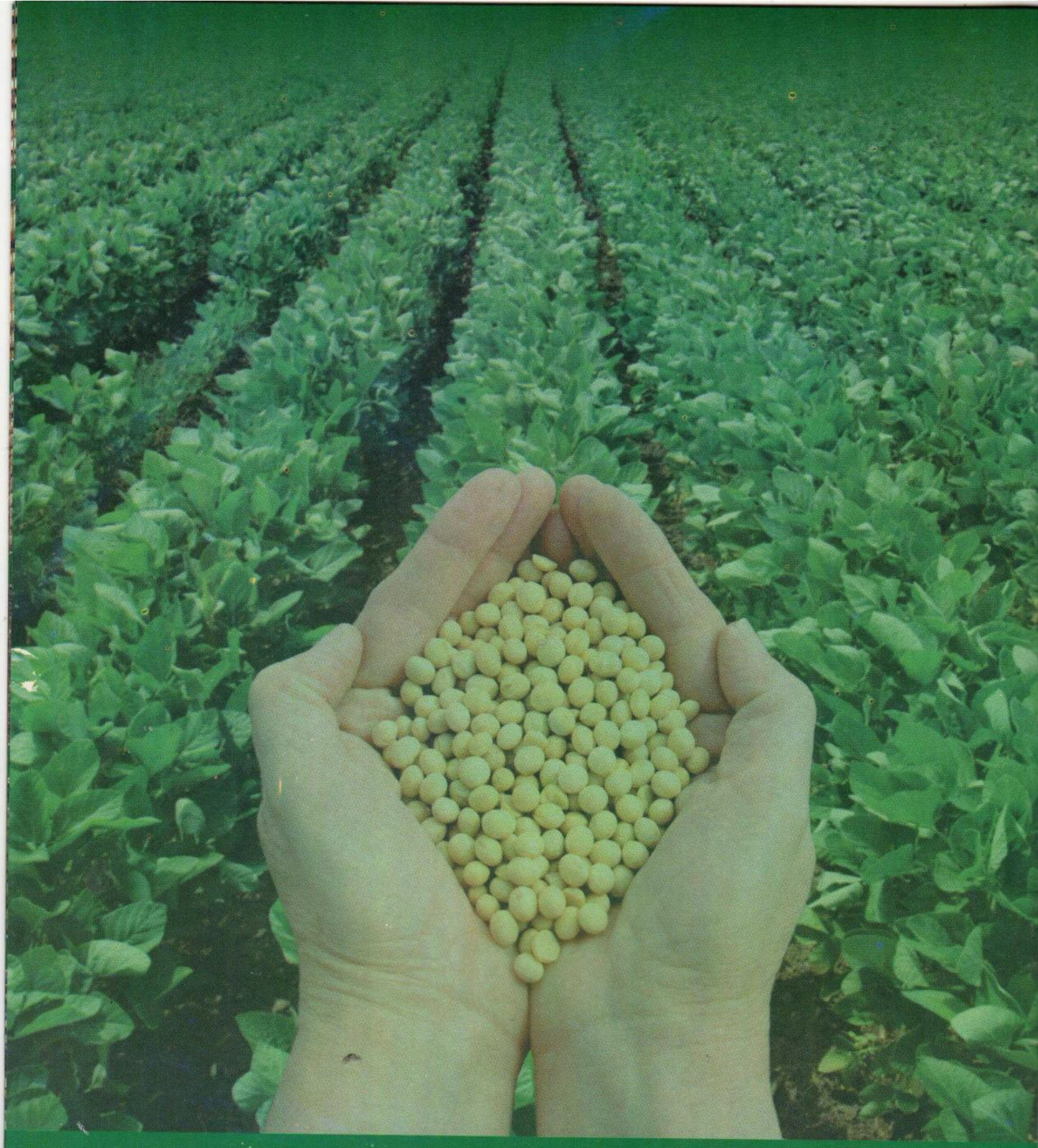

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश माध्यम/2017
तनिष्क प्रिंटर्स, भोपाल